केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

सीबीएसई/समन्वय/प्राइवेट-XII/2023-24/2023 दिनांक: 05.09.2023

**नोटिस**

**कक्षा-बारहवीं की परीक्षा-2024 के लिए प्राइवेट छात्रों द्वारा परीक्षा फार्म जमा करना**

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई मुख्य परीक्षा 2024 के साथ-साथ फरवरी/मार्च/अप्रैल-2024 के महीने में प्राइवेट छात्रों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करेगा:

| क्रमांक | श्रेणी |
|---|---|
| 1. | सत्र 2022-23 के छात्र जिन्हें 2023 परीक्षा के परिणाम में अनिवार्य पुनरावृत्ति (ESSENTIAL REPEAT) घोषित किया गया है |
| 2. | सत्र 2022-23 के छात्र जिन्हें बोर्ड की मुख्य परीक्षा 2023 में कम्पार्टमेंट में रखा गया है, यदि उन्हें प्रथम अवसर के बाद उत्तीर्ण घोषित नहीं किया गया है। |
| 3. | सत्र 2022-23 के छात्र जिन्हें प्रथम अवसर कम्पार्टमेंट परीक्षा-2023 में कम्पार्टमेंट में रखा गया है। |
| 4. | जिन छात्रों को 2018, 2019, 2020,2021 और 2022 में अनुत्तीर्ण/ अनिवार्य पुनरावृत्ति (ESSENTIAL REPEAT) घोषित किया गया है |
| 5. | 2023 के उत्तीर्ण छात्र जो एक या अधिक विषयों में अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए उपस्थित होना चाहते हैं |
| 6. | 2022 और 2023 के उत्तीर्ण छात्र जो एक अतिरिक्त विषय में उपस्थित होना चाहते हैं |
| 7. | महिला विद्यार्थी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी दिल्ली) की वास्तविक निवासी हैं और उन्होंने 2022 या उससे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है। यह योजना केवल 2024 परीक्षा के लिए उपलब्ध है। इसके बाद यह योजना बंद हो जाएगी। |
| 8. | विशेष आवश्यकता वाले अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी दिल्ली) के वास्तविक निवासी हैं और 2022 या उससे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है व सामान्य संस्थानों में उपस्थित होने में कठिनाई होने के उचित सबूत पेश कर देते हैं। यह योजना केवल 2024 परीक्षा के लिए उपलब्ध है। इसके बाद यह योजना बंद हो जाएगी। |

तदनुसार, 2024 में होने वाली परीक्षा के लिए उपरोक्त श्रेणियों में रखे गए विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया 12.09.2023 से शुरू होगी।

छात्र सीबीएसई की वेबसाइट https://www.cbse.gov.in/newsite/private/index.html पर उपलब्ध "व्यक्तिगत परीक्षार्थी" लिंक के माध्यम से आवेदन करेंगे।

सभी ध्यान दें कि इन श्रेणियों के छात्रों के लिए परीक्षा https://cbseacademic.nic.in/curriculum_2024.html लिंक पर उपलब्ध पाठ्यविवरण के आधार पर आयोजित की जाएगी।

माता-पिता/अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले निम्नलिखित अनुलग्नकों को ध्यान से पढ़ लें:-

ए. पात्रता मानदंड - **अनुलग्नक 1**
बी. सामान्य जानकारी - **अनुलग्नक 2**
सी. ऑनलाइन आवेदन जमा करने और फोटो अपलोड करने के लिए विस्तृत निर्देश- **अनुलग्नक 3**
डी. शुल्क अनुसूची - **अनुलग्नक 4**
इ. विषयों की सूची - **अनुलग्नक 5**
एफ. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए छूट/रियायतों का विवरण परिपत्र दिनांक 12.04.2019 द्वारा परिचालित किया गया है:-
https://www.cbse.gov.in/cbsenew/Examination_Circular/2019/5_CIRCULAR.pdf

जी. क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्राधिकार और संपर्क नंबर -
https://www.cbse.gov.in/cbsenew/contact-us.html

**ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली की विशेषताएं इस प्रकार हैं:**

ए. सभी फॉर्म और शुल्क सख्ती के साथ केवल दी गई समय-सूची के अनुसार ऑनलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे।

बी. ऑफलाइन मोड में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सी. अंतिम तिथि के बाद किसी भी आधार पर कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

डी. बिना शुल्क के कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इ. सभी गतिविधियों के लिए शुल्क केवल ऑनलाइन भुगतान मोड यानी नेट बैंकिंग / डेबिट / क्रेडिट कार्ड (राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय दोनों) के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।

एफ. ऑफलाइन मोड यानी डीडी/ पोस्टल ऑर्डर / मनी ऑर्डर / चेक आदि में कोई शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जी. बोर्ड आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम-2016 में परिभाषित नि:शक्त विद्यार्थियों को कई छूट/रियायतें प्रदान कर रहा है। ये छूट/रियायतें परिपत्र दिनांक 12.04.2019 द्वारा परिचालित की गई हैं। यह परिपत्र निम्न लिंक पर उपलब्ध है:-
https://www.cbse.gov.in/cbsenew/Examination_Circular/2019/5_CIRCULAR.pdf

एच. छूट/रियायत प्राप्त करने के लिए, विद्यार्थियों को मेडिकल सर्टिफिकेट (नि:शक्तता प्रमाण पत्र) की एक प्रति अपलोड करनी होगी।

आई) आवेदन पत्र जमा करते समय, बोर्ड की 2023 की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में विवरण ऑनलाइन प्रणाली में स्वतः उत्पन्न होगा और आवेदको को दिखाई देगा।

जे. 2022 या उससे पहले के विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन/पोर्टल पर अनुक्रमांक और उत्तीर्णता वर्ष आदि जैसा विवरण जमा करना होगा। विवरण पूर्णतया ठीक होना चाहिए। गलत सूचना से आवेदन फॉर्म अस्वीकार किया जा सकता है।

के. यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में गलत प्रविष्टियां करता है या गलत बयान देता है या झूठे दस्तावेज पेश करता है, तो उसका फॉर्म अस्वीकार कर दिया जाएगा, भुगतान किया गया शुल्क जब्त कर लिया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को अनुचित पद्धति का इस्तेमाल करने वाला माना जाएगा और तदनुसार निपटारा किया जाएगा।

एल. ऑनलाइन फॉर्म में भरे गए शहर के चुनाव /पसंद के अनुसार परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे।

एम. यह देखा गया है कि कुछ अभ्यर्थी आवेदन की ऑनलाइन प्रविष्टि को पूरा करते हैं लेकिन शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं। यदि अंतिम तिथि तक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसका आवेदन बिना किसी सूचना के अस्वीकार कर दिया जाएगा।

एन. ऐसा कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा कि साइबर कैफे आदि से गलती हुई है, और आवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना फॉर्म स्वयं भरें।

ओ. केवल फॉर्म जमा करने और शुल्क का भुगतान करने से अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने का अधिकार नहीं मिल जाएगा। उसकी पात्रता बोर्ड द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगी।

पी. परीक्षा के लिए फॉर्म जमा करना पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। तदनुसार, यह सूचित किया जाता है कि फॉर्म की हार्ड प्रति सीबीएसई को भेजने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि निम्न से अवगत कराया जाता है:-

(1) महिला अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी दिल्ली) की वास्तविक निवासी हैं और उन्होंने 2022 या उससे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा कराते समय उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी अधिवास प्रमाण-पत्र की प्रति अपलोड करेगी।

(2) दिव्यांग छात्र जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी दिल्ली) का एक वास्तविक निवासी है और जिसने 2022 या उससे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है और सामान्य संस्थानों में उपस्थित होने में कठिनाई होने के उचित साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है, वे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा कराते समय उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी अधिवास प्रमाण-पत्र की प्रति अपलोड करेगा।

पात्रता, अंतिम तिथि और विलंब शुल्क के लिए, कृपया अनुलग्नक देखें। किसी भी प्रश्न के लिए, सीबीएसई हेल्पलाइन नंबर 1800-11-8002 पर सभी कार्य दिवसों में सुबह 9.30 बजे से साँय 5.30 के बीच कॉल करें।

हस्ता/-
(डॉ संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

प्रति: वेब प्रबंधक को सीबीएसई वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित

**संलग्नक- 1**

**सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (कक्षा XII) के लिए प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करने की पात्रता :-**

| श्रेणी | पात्रता मानदंड |
|---|---|
| सभी विषय<br>(5/ 6 विषय) | ए. अभ्यर्थी जिसका परिणाम सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (कक्षा XII) 2023 में अनिवार्य पुनरावृत्ति के रूप में घोषित किया गया है।<br>अथवा<br>बी. जिन विद्यार्थियों का परिणाम वर्ष 2018, 2019, 2020,2021व 2022 में सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (कक्षा- XII) में अनुत्तीर्ण/ अनिवार्य पुनरावृत्ति घोषित किया गया है।<br>अथवा<br>सी. जिन अभ्यर्थियों ने नियमित अध्ययन पूरा कर लिया है और उन्हें वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा की परीक्षा में बैठने के लिए रोल नंबर आवंटित किया गया था, लेकिन वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा (कक्षा XII) 2023 में उपस्थिति में कमी को छोड़कर, चिकित्सा कारणों से कक्षा XII परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके।<br>अथवा<br>डी. जिन अभ्यर्थियों का एक विषय में कंपार्टमेंट आया है, वे 5/6 विषयों में बैठने का विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें उन्होंने बोर्ड की परीक्षा 2023 दी है। ऐसे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय "अनिवार्य पुनरावृत्ति" को अपनी श्रेणी चुनना चाहिए।<br><br>अथवा<br>ई. महिला अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी दिल्ली) की वास्तविक निवासी हैं और उन्होंने 2022 या उससे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा x या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है और निम्न अतिरिक्त शर्तें पूरी करती हो:<br>i. कि उसने समुचित मार्गदर्शन के अंतर्गत अध्ययन के निर्धारित कोर्स का प्राइवेट रूप से अध्ययन किया है; और<br>ii. कि वह बोर्ड से सम्बद्ध सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शामिल होने में असमर्थ है या ऐसे अन्य कारण हैं जिनके कारण उसे प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित होना पड़ा है।<br>iii. इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाली महिला विद्यार्थी प्रैक्टिकल घटक वाले विषय नहीं ले सकती। तथापि वे प्रैक्टिकल के साथ गृह विज्ञान ले सकती हैं।<br>iv. यह योजना केवल 2024 की परीक्षा के उपलब्ध है। उसके बाद योजना बंद कर दी जाएगी।<br><br>अथवा<br>एफ. दिव्यांग विद्यार्थी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी दिल्ली) के वास्तविक निवासी हैं और जिसने 2022 में या उससे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, जो जिन विषयों में प्रैक्टिकल प्रशिक्षण/परीक्षा शामिल नहीं है, में सामान्य संस्थानों में उपस्थित होने में कठिनाई होने का उचित साक्ष्य पेश करते हैं। इस संबंध में चिकित्सा प्रमाण पत्र संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे जाएंगे। इस श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले विद्यार्थी प्रैक्टिकल घटक वाले विषय नहीं ले सकते हैं। यह योजना |

| | |
|---|---|
| | केवल 2024 की परीक्षा के उपलब्ध है। उसके बाद योजना बंद कर दी जाएगी। |
| कम्पार्ट्मेंट | जिन अभ्यर्थियों का परिणाम बोर्ड मुख्य और सप्लमेंट्री परीक्षा 2023 में कम्पार्टमेंट के रूप में घोषित किया गया है, वे केवल उसी विषय में आवेदन कर सकते हैं जिसमें उन्हें कम्पार्टमेंट में रखा गया है। ऐसे अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी श्रेणी का चयन कम्पार्टमेंट के रूप में करना चाहिए। |
| प्रदर्शन में सुधार | केवल ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2023 में बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की है, एक या एक से अधिक विषयों में अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि वे 2023 में आयोजित परीक्षा में उन्हीं विषयों में शामिल हुए हों।<br><br>तथापि, एक अभ्यर्थी जिसने वोकेशनल योजना के तहत बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की है, वह succeeding वर्ष या following वर्ष में मुख्य परीक्षा में प्रदर्शन में सुधार के लिए पुन: उपस्थित हो सकता है, बशर्ते उन्होंने इस बीच उच्च अध्ययन नहीं किया हो। |
| अतिरिक्त विषय | जिन अभ्यर्थियों ने बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे संलग्न विषयों की सूची में से अतिरिक्त विषय के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने के 02 वर्षों के भीतर आवेदन कर सकते हैं (अभ्यर्थी जो 2022 या 2023 में उत्तीर्ण हुए हैं, वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं)। हालांकि, अभ्यर्थी प्रैक्टिकल कार्य वाले विषय के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को परियोजना घटक वाले विषयों को लेने की अनुमति है। |
| नोट # 1 | प्रदर्शन में सुधार के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थी अतिरिक्त विषय और इसके विपरीत (vice-versa) उपस्थित होने के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। |
| नोट # 2 | केवल वे विद्यार्थी जिन्हें उत्तीर्ण घोषित किया गया है, वे अन्य शर्तों के अधीन प्रदर्शन में सुधार या अतिरिक्त विषयों के लिए आवेदन कर सकते हैं। |

| सामान्य जानकारी | | |
|---|---|---|
| 1. | एक आवेदन पत्र<br>आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसलिए छात्र केवल एक आवेदन पत्र भर सकते हैं। यदि छात्र ने एक आवेदन जमा किया है तो उसे किसी अन्य श्रेणी के तहत पुन: आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए छात्र अपनी श्रेणी और अन्य विवरण का सावधानीपूर्वक चयन करें। | |
| 2. | पाठ्यविवरण<br>छात्रों की परीक्षा परीक्षा के वर्ष के लिए निर्धारित विषयों और पाठ्यक्रम में ही ली जाएगी। उम्मीदवार को फॉर्म भरने से पहले सीबीएसई वेबसाइट लिंक www.cbseacademic.in/curriculum.html पर उपलब्ध पात्रता और उत्तीर्णता मानदंड के साथ-साथ वर्तमान पाठ्यचर्या और अध्ययन योजना को ध्यान से अवश्य पढ़ लेना चाहिए। | |
| 3. | जिन विषयों में प्रयोगशाला अभ्यास शामिल है<br><br>प्राइवेट अभ्यर्थी उन विषयों को नहीं ले सकते हैं जिनमें प्रयोगशाला अभ्यास शामिल है, हालांकि, महिला प्राइवेट अभ्यर्थी (केवल दिल्ली) प्रैक्टिकल के साथ गृह विज्ञान की पेशकश कर सकती हैं। इसी तरह, दृष्टिबाधित (अंधापन) (केवल दिल्ली) वाले अभ्यर्थियों के लिए संगीत विषय के कोड यानी 031 या 032 या 033 या 034 या 035 या 36 में से किसी एक की पेशकश करने का विकल्प है। | |
| 4. | विषय का चयन<br>आवेदक केवल उन्हीं विषयों के लिए आवेदन कर सकेगा जो सिस्टम में स्वतः उत्पन्न होते हैं। | |
| 5. | भाषाओं के समक्ष विषय कोड का दर्शाते समय सावधानी बरतना<br><br>भाषाओं के समक्ष विषय कोड को इंगित करने में सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि एक से अधिक प्रकार के कोर्स हैं। भाषा के लिए, मीडियम कोड की आवश्यकता नहीं है। | |
| 6. | नया रोल नंबर<br>वर्ष 2024 परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बोर्ड द्वारा नया अनुक्रमांक दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में अभ्यर्थियों को पिछले वर्ष के अनुक्रमांक के साथ उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। | |
| 7. | परीक्षा केंद्र<br>एक बार आवंटित परीक्षा केंद्र अंतिम होगा और परीक्षा केंद्र बदलने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। छात्र द्वारा परीक्षा फॉर्म में भरी गई शहर की पसंद के आधार पर बोर्ड द्वारा परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। | |
| 8. | सही डाक पता<br>आवेदक को सही डाक पता देना होगा। | |
| 9. | शुल्क का भुगतान<br>भुगतान या तो आपके अपने खाते/डेबिट/क्रेडिट कार्ड या आपके माता-पिता/भाई-बहन के खाते/डेबिट/क्रेडिट कार्ड से किया जाना चाहिए ताकि यदि कोई भी धनवापसी हो तो वह आपको मिले तथा किसी और को नहीं। | |
| 10. | फोटो और हस्ताक्षर की जेपीजी फाइलों का आकार<br>अनुलग्नक 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार आवेदक को अपने फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की गई जेपीजी फाइल अपलोड करनी है जो 40 केबी से अधिक नहीं होनी चाहिए। | |
| 11. | अंक तालिका और प्रमाणपत्र निर्गत करना | |
| | ए | पिछले वर्ष की परीक्षा की मूल मार्कशीट और प्रमाणपत्र सीबीएसई को नहीं देना है। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | बी | 2024 परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को परिणाम घोषित होने के बाद 2024 परीक्षा की मार्कशीट और प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। | |
| | सी | प्रदर्शन में सुधार या अतिरिक्त विषय (विषयों) के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को एक अलग नया अंकपत्र सह प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जो केवल उक्त परीक्षा में प्राप्त अंकों को दर्शाता हो। | |
| | डी | समेकित अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को जारी किया जाएगा जो कि दूसरे अवसर की कम्पार्टमेंट परीक्षा में शामिल होंगे और 2024 में उक्त कम्पार्टमेंट परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। समेकित मार्कशीट और प्रमाणपत्र में मुख्य/ सप्लमेंट्री 2023 में आयोजित पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण विषयों में प्राप्त अंक होंगे और साथ ही द्वितीय अवसर कम्पार्टमेंट परीक्षा में उपस्थिति वाले विषय में प्राप्त अंक भी होंगें। | |
| | ई | बोर्ड प्रत्येक विषय में अलग से प्राप्त अंकों को इंगित करते हुए अंकपत्र सह उत्तीर्णता प्रमाण पत्र जारी करता है। बोर्ड द्वारा कुल अंक/प्रतिशत का उल्लेख नहीं किया गया है। जो अभ्यर्थी 6 विषय लेते हैं और सभी 6 विषयों में उत्तीर्ण होते हैं, प्रतिशत की गणना महाविद्यालय/ संस्थान के मानदंडों के अनुसार की जानी है जिसमें अभ्यर्थी प्रवेश लेना चाहता है। | |
| 12. | प्रवेश पत्र और शैक्षिक दस्तावेज<br>प्रवेश पत्र और शैक्षिक दस्तावेज निम्नलिखित तरीके से प्राप्त किए जाएंगे: | | |
| | दिल्ली से बाहर केंद्रों से परीक्षाओं में उपस्थिति होने वाले अभ्यर्थियों के लिए | | |
| | ए | प्रवेश पत्रक | योग्य अभ्यर्थी सीबीएसई की वेबसाइट www.cbse.nic.in से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। |
| | बी | मूल अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र | संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मूल अंकपत्र और प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा आवेदन फॉर्म में दिए गए आवासीय पते पर स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा। |
| | उन अभ्यर्थियों के लिए जो दिल्ली के केंद्रों से परीक्षा में शामिल होंगे। | | |
| | सी | प्रवेश पत्रक | योग्य अभ्यर्थी सीबीएसई की वेबसाइट www.cbse.nic.in से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे |
| | डी | मूल अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र | मूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली द्वारा उस परीक्षा केंद्र पर भेजा जाएगा जहां अभ्यर्थी परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ था।<br>अभ्यर्थी मूल प्रवेश पत्र प्रस्तुत करके परीक्षा केंद्र से अंकपत्र और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र परिणाम घोषित होने के महीने से एक वर्ष के लिए मूल दस्तावेज अपने पास रखेगा और उसके बाद छोड़े गए दस्तावेजों को क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली पूर्व या दिल्ली पश्चिम, जैसा भी मामला हो, को वापस कर दिया जाएगा। |

| प्राइवेट विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए श्रेणीवार अनुदेश | | |
|---|---|---|
| **निम्न श्रेणियों के तहत उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों के लिए-** | | |
| **(ए)** | **अनुत्तीर्ण/अनिवार्य पुनरावृत्ति/ कम्पार्टमेंट/ प्रदर्शन में सुधार** | |
| | **i.** | अभ्यर्थी के नाम, पिता/अभिभावक का नाम, माता का नाम आदि का विवरण ऑनलाइन प्रणाली में उनके संबंध में स्वतः उत्पन्न होगा जो 2023 में आयोजित बोर्ड की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। 2022 की परीक्षा (या उससे पहले) के विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण भरने की आवश्यकता होगी। |
| | **ii.** | बोर्ड परीक्षा के अपने अनुक्रमांक, विद्यालय संख्या और केंद्र संख्या (जैसा कि आपके अंकपत्र में दिया गया है) का सही संयोजन/combination भरें, जहां भी उपलब्ध हो। |
| | **iii.** | यदि गलत विवरण भरा जाएगा, तो आवेदन संसाधित नहीं किया जाएगा और एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा। |
| | **iv.** | विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए प्रैक्टिकल/आंतरिक आकलन/परियोजना आदि अंकों को आगे बढ़ाया जाएगा या यथानुपात अंक दिए जाएंगे या पुन: प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित की जाएगी जैसा कि उप-विधि के लागू प्रावधानों के अनुसार लागू हो। |
| **(बी)** | **नई छात्रा / दिव्यांग (दिल्ली)- इस श्रेणी(यों) के अंतर्गत आने वालों के लिए** | |
| | **i.** | विषयों का चयन ड्रॉप-डाउन सूची के अनुसार किया जाना चाहिए। |
| | **ii.** | आंतरिक आकलन घटक वाले विषयों में थ्योरी परीक्षा में प्राप्त अंकों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माध्यम से 100 अंकों में से आने वाले में परिवर्तित किया जाएगा। अंकों को थ्योरी अंकों में जोड़ा जाएगा। |
| **(सी)** | **अतिरिक्त विषय - श्रेणी के अंतर्गत आने वालों के लिए** | |
| | **i.** | **अनुलग्नक 5** में दी गई विषयों की सूची में से कोई एक विषय, जो पहले नहीं लिया गया था |
| | **ii.** | आंतरिक आकलन घटक वाले विषयों में थ्योरी परीक्षा में प्राप्त अंकों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के माध्यम से 100 अंकों में से आने वाले में परिवर्तित किया जाएगा। अंकों को थ्योरी अंकों में जोड़ा जाएगा। |

फोटोग्राफ स्कैन करने और अपलोड करने के चरण

फ़ोटो का प्रकार

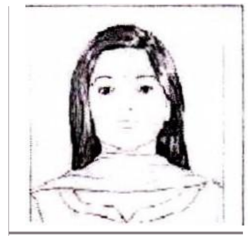

फ़ोटो पूर्ण रंग में और उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए ताकि कोई पिक्सेल न दिखाई दे।

फोटो पिछले 6 महीनों में लिया गया होना चाहिए।

आवेदकों को अपनी फ़ोटो की स्कैन की गई जेपीजी फ़ाइल और हस्ताक्षर अपलोड करने अपेक्षित हैं जो 40 केबी से अधिक के न हो।

सिर सीधे कैमरे के सामने होना चाहिए, यह केंद्रित हो और 80% छवि निर्मित करता हो।

फोटो बालों के थोड़ा ऊपर से छाती के मध्य भाग तक खींची हुई होनी चाहिए।

एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति रखें - मुस्कुराया जा सकता है।

अभ्यर्थी स्पष्ट फोकस में हो और पृष्ठभूमि से अलग दिखाई दे।

सॉलिड कलर बैकग्राउंड श्रेष्ठ होते हैं।

आंखें खुली रहनी चाहिए और कैमरे को देखना चाहिए। चश्मे को तब तक रंगा नहीं जाना चाहिए जब तक कि इसे चिकित्सा प्रयोजनों के लिए दैनिक रूप से न पहना जाए।

अभ्यर्थी का पूरा चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।

<table>
<tr><th colspan="5">कक्षा XII (प्राइवेट अभ्यर्थी) के लिए फॉर्म भरने का शुल्क और तिथियाँ</th></tr>
<tr><td rowspan="2">शुल्क स्लैब</td><td colspan="3">प्रति विद्यार्थी अदा किया जाने वाला शुल्क<br>(भारतीय रुपए में)</td><td rowspan="2">फॉर्म ऑनलाइन प्रस्तुत करने और शुल्क जमा करने की अनुसूची</td></tr>
<tr><td>भारत</td><td>नेपाल</td><td>अन्य देश</td></tr>
<tr><td rowspan="2">परीक्षा शुल्क</td><td>05 विषयों के लिए 1500 रुपए</td><td>05 विषयों के लिए 5000 रुपए</td><td>05 विषयों के लिए 10000 रुपए</td><td rowspan="4">12.09.2023 (मंगलवार) से 11.10.2023 (बुधवार)</td></tr>
<tr><td>प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए प्रति विषय 300 रुपए</td><td>प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए प्रति विषय 1000 रुपए</td><td>प्रत्येक अतिरिक्त विषय के लिए प्रति विषय 2000 रुपए</td></tr>
<tr><td>अतिरिक्त /कम्पार्टमेंट /सुधार के लिए परीक्षा शुल्क</td><td>प्रति विषय 300 रुपए</td><td>प्रति विषय 1000 रुपए</td><td>प्रति विषय 2000 रुपए</td></tr>
<tr><td>प्रैक्टिकल शुल्क</td><td>प्रत्येक प्रैक्टिकल/ परियोजना कार्य विषय के लिए 150 रुपए</td><td>प्रत्येक प्रैक्टिकल/ परियोजना कार्य विषय के लिए 150 रुपए</td><td>प्रत्येक प्रैक्टिकल/ परियोजना कार्य विषय के लिए 350रुपए</td></tr>
<tr><td>विलंब शुल्क सहित</td><td colspan="3">उपर्युक्त निर्धारित सामान्य शुल्क के अतिरिक्त<br>प्रति अभ्यर्थी 2000 रुपए का विलंब शुल्क</td><td>12.10.2022 (वीरवार) से 19.10.2022 (वीरवार)</td></tr>
<tr><td colspan="5">• अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी<br>• दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क से छूट दी गई है। हालांकि, यदि अंतिम तिथि के बाद फॉर्म जमा किया जाता है, तो विलंब शुल्क लागू होगा।<br>• चूंकि सभी गतिविधियाँ ऑनलाइन हैं, अत: अवकाश के दिन भी की जा सकती हैं।<br>• यह ध्यान दिया जाए कि फॉर्म जमा करने और शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि समान है।</td></tr>
</table>

## शुल्क भुगतान

1. सीबीएसई द्‌वारा सभी गतिविधियों के लिए शुल्क केवल निम्नलिखित डिजिटल भुगतान माध्यमों से स्वीकार किया जाता है:-

   भारत में- डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ नेफ्ट/ आरटीजीएस
   विदेश- डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/स्विफ्ट

2. चूंकि स्विफ्ट अद्‌यतन में 2-3 दिन लग सकते हैं, इसलिए, भारत के बाहर स्थित स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे शुल्क के भुगतान सहित अपनी प्रक्रिया को इस तरह से पूरा करें कि उनकी प्रक्रिया अंतिम तिथि से पहले समाप्त हो जाए।

4. बैंक से संबंधित लेनदेन या सर्वर पर शुल्क अद्‌यतन न होने की स्थिति में, स्कूलों को संबंधित बैंक से संपर्क करना चाहिए जिसके माध्यम से भुगतान किया गया था। बैंकों के संपर्क विवरण सीबीएसई की वेबसाइट पर दिए गए हैं। आम तौर पर, बैंक को शुल्क अद्‌यतन न होने के मामले को हल करने के लिए निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होगी, इसलिए बैंक से संपर्क करने से पहले इन्हें तैयार रखे:

   ए) भुगतान का तरीका
   बी) शुल्क संदर्भ संख्या
   सी)जमा की गई राशि
   डी) जमा करने की तिथि
   ई) शाखा जहां राशि जमा की गई थी
   एफ) बैंक संदर्भ संख्या (बैंक खाते में दर्शाई गई लेनदेन आईडी)
   जी) आपका संपर्क सूत्र

**अनुलग्नक -5**

थ्योरी और आंतरिक आकलन अंक वितरण सहित विषय कक्षा XII / 2024

| क्रमांक | विषय कोड | विषय नाम | अनुमति प्राप्त/ अनुमति नही दी गई | अंक | | कुल अंक | उत्तीर्णता अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | थ्योरी | प्रोज/प्रै/आईए | | |
| 1. | 001 | #/1अंग्रेजी इलेक्टिव | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 2. | 002 | #/2 हिंदी इलेक्टिव | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 3. | 003 | #/3 उर्दू इलेक्टिव | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 4. | 022 | #/4 संस्कृत इलेक्टिव | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 5. | 027 | इतिहास | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 6. | 028 | राजनीति विज्ञान | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 7. | 029 | भूगोल | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 70 | 30 | 100 | 33 |
| 8. | 030 | अर्थशास्त्र | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 9. | 031 | #/6 कर. संगीत (वॉकल) | दृष्टिबाधित (Blind)/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 30 | 70 | 100 | 33 |
| 10. | 032 | #/6 कर. संगीत मेल. इन्स. | दृष्टिबाधित (Blind)/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 30 | 70 | 100 | 33 |
| 11. | 033 | #/6 कर. पर. इन्स | दृष्टिबाधित (Blind)/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 30 | 70 | 100 | 33 |
| 12. | 034 | #/6 हिन्दुस्तानी संगीत (वॉकल) | दृष्टिबाधित (Blind)/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 30 | 70 | 100 | 33 |
| 13. | 035 | #/6 हिन्दुस्तानी संगीत मेल. इन्स. | दृष्टिबाधित (Blind)/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 30 | 70 | 100 | 33 |
| 14. | 036 | #/6 हिन्दुस्तानी पर. इन्स. | दृष्टिबाधित (Blind)/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 30 | 70 | 100 | 33 |
| 15. | 037 | मनोविज्ञान | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 70 | 30 | 100 | 33 |
| 16. | 039 | समाजशास्त्र | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 17. | 041 | #/7 गणित | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट. | 80 | 20 | 100 | 33 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | /सुधार | | | | |
| 18. | 042 | भौतिकी | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 70 | 30 | 100 | 33 |
| 19. | 043 | रसायन शास्त्र | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 70 | 30 | 100 | 33 |
| 20. | 044 | जीव विज्ञान | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 70 | 30 | 100 | 33 |
| 21. | 045 | जैव प्रौद्योगिकी | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 70 | 30 | 100 | 33 |
| 22. | 046 | इंजीनीरिंग ग्राफिक्स | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 70 | 30 | 100 | 33 |
| 23. | 048 | शारीरिक शिक्षा | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 70 | 30 | 100 | 33 |
| 24. | 049 | #/8 पेंटिंग | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 30 | 70 | 100 | 33 |
| 25. | 050 | #/8 ग्राफिक्स | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 30 | 70 | 100 | 33 |
| 26. | 051 | #/8 स्कल्प्चर | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 30 | 70 | 100 | 33 |
| 27. | 052 | #/8 एप्प/कॉमर्शियल आर्ट | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 30 | 70 | 100 | 33 |
| 28. | 054 | #/9 बिजनेस स्टडीज | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 29. | 055 | एकाउंटेन्सी | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 30. | 056 | #/10 कथक- नृत्य | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 30 | 70 | 100 | 33 |
| 31. | 057 | #/10 भरतनाट्यम - नृत्य | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 30 | 70 | 100 | 33 |
| 32. | 058 | #/10 कुचिपुड़ी - नृत्य | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 30 | 70 | 100 | 33 |
| 33. | 059 | #/10 ओडिसी - नृत्य | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 30 | 70 | 100 | 33 |
| 34. | 060 | #/10 मणिपुरी - नृत्य | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 30 | 70 | 100 | 33 |
| 35. | 061 | #/10 कथकली - नृत्य | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 30 | 70 | 100 | 33 |
| 36. | 064 | होम साइंस | प्राइवेट छात्रा/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 70 | 30 | 100 | 33 |
| 37. | 065 | #/11 इंफोरमटिक्स प्रक. | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 70 | 30 | 100 | 33 |
| 38. | 066 | उद्यमिता | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 70 | 30 | 100 | 33 |
| 39. | 073 | नॉलेज ट्रेडीशन एवं प्रक्टिसेज ऑफ इंडिया | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 70 | 30 | 100 | 33 |
| 40. | 074 | विधि अध्ययन | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 41. | 076 | नेशनल कडेट कॉर्पस (एनसीसी) | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 70 | 30 | 100 | 33 |
| 42. | 083 | #/11 कंप्यूटर साइंस | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 70 | 30 | 100 | 33 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. | 104 | पंजाबी | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 44. | 105 | बंगाली | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 45. | 106 | तमिल | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 46. | 107 | #/5 तेलुगु | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 47. | 108 | सिंधी | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 48. | 109 | मराठी | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 49. | 110 | गुजराती | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 50. | 111 | मणिपुरी | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 51. | 112 | मलयालम | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 52. | 113 | ओडिया | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 53. | 114 | असमिया | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 54. | 115 | कन्नड़ | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 55. | 116 | अरबी | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 56. | 117 | तिब्बती | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 57. | 118 | फ्रेंच | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 58. | 120 | जर्मन | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 59. | 121 | रूसी | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 60. | 123 | पर्शियन | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 61. | 124 | नेपाली | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ | 80 | 20 | 100 | 33 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | कम्पार्ट./ सुधार | | | | |
| 62. | 125 | लिंबु | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 63. | 126 | लेपचा | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 64. | 189 | #/5 तेलुगु -तेलंगाना | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 65. | 192 | बोडो | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 66. | 193 | तांगखुल | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 67. | 194 | जापानी | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 68. | 195 | भूटिया | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 69. | 196 | स्पेनिश | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 70. | 197 | कश्मीरी | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 71. | 198 | मिज़ो | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 72. | 241 | #/7 अनुप्रयुक्त गणित | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 73. | 301 | #/1 अंग्रेजी कोर | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 74. | 302 | #/2 हिंदी कोर | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 75. | 303 | #/3 उर्दू कोर | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 76. | 322 | #/4 संस्कृत कोर | प्राइवेट/ अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 80 | 20 | 100 | 33 |
| 77. | 801 | रिटेल | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 60 | 40 | 100 | 33 |
| 78. | 802 | #/11 सूचना प्रौद्योगिकी | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 60 | 40 | 100 | 33 |
| 79. | 803 | वेब एप्पलिकेशन | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 60 | 40 | 100 | 33 |
| 80. | 804 | ऑटोमोटिव | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 60 | 40 | 100 | 33 |
| 81. | 805 | फाइनैन्शल मार्केट मैनेजमेंट | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 60 | 40 | 100 | 33 |
| 82. | 806 | टूरिज़्म | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 60 | 40 | 100 | 33 |
| 83. | 807 | ब्यूटी एंड वेलनेस | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 60 | 40 | 100 | 33 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84. | 808 | एग्रीकल्चर | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 70 | 30 | 100 | 33 |
| 85. | 809 | फूड प्रोडक्शन | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 60 | 40 | 100 | 33 |
| 86. | 810 | फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन्स | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 60 | 40 | 100 | 33 |
| 87. | 811 | बैंकिंग | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 60 | 40 | 100 | 33 |
| 88. | 812 | मार्केटिंग | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 60 | 40 | 100 | 33 |
| 89. | 813 | हेल्थ केयर | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 60 | 40 | 100 | 33 |
| 90. | 814 | इन्शुरन्स | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 60 | 40 | 100 | 33 |
| 91. | 816 | होर्टिकल्चर | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 60 | 40 | 100 | 33 |
| 92. | 817 | टाइपाग्रफी और कंप्यूटर अनुप्रयोग | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 60 | 40 | 100 | 33 |
| 93. | 818 | जिओसपेशियअल प्रौद्योगिकी | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 60 | 40 | 100 | 33 |
| 94. | 819 | इलेक्ट्रिकल प्रौद्योगिकी | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 60 | 40 | 100 | 33 |
| 95. | 820 | इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 60 | 40 | 100 | 33 |
| 96. | 821 | मल्टीमीडिया | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 50 | 50 | 100 | 33 |
| 97. | 822 | टैक्सेशन | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 60 | 40 | 100 | 33 |
| 98. | 823 | कोस्ट एकाउंटिंग | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 60 | 40 | 100 | 33 |
| 99. | 824 | ऑफिस प्रोसेजर एंड प्रेक्टीसेज | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 60 | 40 | 100 | 33 |
| 100. | 825 | शॉर्टहैंड (अंग्रेजी) | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 60 | 40 | 100 | 33 |
| 101. | 826 | शॉर्टहैंड (हिंदी) | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 60 | 40 | 100 | 33 |
| 102. | 827 | एयर-कंडीशन एंड रेफ्रीजरेशन | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 60 | 40 | 100 | 33 |
| 103. | 828 | मेडिकल डायगनोस्टिक्स | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 60 | 40 | 100 | 33 |
| 104. | 829 | टेक्सटाइल डिजाइन | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 60 | 40 | 100 | 33 |
| 105. | 830 | डिजाइन | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 50 | 50 | 100 | 33 |
| 106. | 831 | सेल्ज़मैनशिप | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 60 | 40 | 100 | 33 |
| 107. | 833 | #/9बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 70 | 30 | 100 | 33 |
| 108. | 834 | फूड न्यूट्रीशन एंड डाइटेटिक्स | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 70 | 30 | 100 | 33 |
| 109. | 835 | मास मीडिया स्टडीज | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 70 | 30 | 100 | 33 |
| 110. | 836 | लाइब्रेरी एंड इनफॉर्मेशन साइंस | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 70 | 30 | 100 | 33 |
| 111. | 837 | फैशन स्टडीज | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 70 | 30 | 100 | 33 |
| 112. | 841 | योग | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 50 | 50 | 100 | 33 |
| 113. | 842 | अर्ली चाइल्डहूड केयर एंड एडयूकेशन | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 50 | 50 | 100 | 33 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114. | 843 | आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 50 | 50 | 100 | 33 |
| 115. | 844 | डेटा साइंस | अनिवार्य पुनरावृति/ कम्पार्ट./ सुधार | 50 | 50 | 100 | 33 |

नोट:

#/1 अंग्रेजी के लिए 02 विषय कोड में से कोई एक
#/2 हिन्दी के 02 विषय कोड में से कोई एक
#/3 उर्दू के 02 विषय कोड में से कोई एक
#/4 संस्कृत के 02 विषय कोड में से कोई एक
#/5 तेलुगु के 02 विषय कोड में से कोई एक
#/6 संगीत के लिए 06 विषय कोड में से कोई एक
#/7 गणित कला के 02 विषय कोड में से कोई एक
#/8 ललित कला के 04 विषय कोड में से कोई एक
#/9 बिजनेस अध्ययन (054) और बिजनेस प्रबंधन (833) के 02 विषय कोड में से कोई एक
#/10 नृत्य के 06 विषय कोड में से कोई एक
#/11 इनफार्मेशन प्रक्टिसेज (065), कंप्यूटर साइंस (083) और सूचना प्रौद्योगिकी (802) के लिए 03 विषय कोड में से कोई एक